भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2130
दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

प्रवासी महिलाओं का पता लगाना

2130. श्री प्रताप सिम्हाः
डॉ. उमेश जी. याधवः
श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पलायन करने वाली महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं का पता लगाने की दिशा में कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;और

(ख) क्या महामारी के दौरान प्रवासी महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ प्राप्त होते रहे थे और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या क्या है तथा सरकार द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : पोषण ट्रैकर जो आईसीटी आधारित ऐप्लीकेशन है, पोषण वितरण सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए एक अभिशासन उपकरण है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग पोषण सेवा प्रदायगी की आखिरी मील तक ट्रैकिंग तथा परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की रियल टाइम निगरानी के लिए किया जा रहा है। अब तक, लगभग 9.83 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं जिसमें 6 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती माताएं तथा किशोरियां शामिल हैं।

(ख) : लाभार्थियों को निरंतर पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने कोविड-19 के दौरान 15 दिन में एक बार लाभार्थियों के घर पर पूरक पोषण का वितरण किया क्योंकि महामारी के प्रभाव को सीमित करने के लिए देश में सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद थे। इसके अलावा, उन्होंने सामुदायिक निगरानी, जागरूकता पैदा करने तथा समय-समय पर उनको सौंपे गए अन्य कार्यों में भी स्थानीय प्रशासन की मदद की।

*****